

२१.०३.१८

अधिवक्ता कृषीलायी उपाधीत।
 काशीनाथ रिपोर होकर
 पगावली कास प्रस्तुत डरे। पगावली डर
 रजिस्टर करे। अधिवक्ता कृषीलायी की
 बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर मुनी
 वारे। पगावली वास्ते कोदेश प्रार्थना पत्र
 दिनांक ०३/५/२०१८ को पेश हो।

दिनांक ०३.०५.१८

०३/५/१८

कास प्रह पगावली वास्ते कोदेश प्रार्थना
 पत्र स्थगन प्रस्तुत डरे। अधिवक्ता
 कृषीलायी की बहस पर मनन किता।
 अधिवक्ता कृषीलायी ने अपनी बहस मे
 एमारा एमार्न लमाबन्दी सम्बत् २०७३ से २०७६
 वाबत् ख.न. ३ व २ गुम नारदपुरा, पटवार
 एल्का साधपुरा तहसील लमवारामगठ की
 कोर काकषित करा कर निवेदन किता
 कि बिनाडगुल ग्राहि ख.न ३ का
 कृषीलाय रिपोर्ट खातेदार काश्तकार
 डर रिपोर्ट है एवं ख.न. २ मे काद-
 खातेदार काश्तकार डर रिपोर्ट है एवं
 वारीगवा ने डर कादख रिपोर्ट को काड पत्र
 मे चलेन्त भी नही किता है ऐसी रिकार्ड
 एक रिपोर्ट खातेदार काश्तकार के रिमाफ
 बिना डरखती का अनुलोष चपे, केवल माज
 स्फारि निवेधान का वाद चलने योग्य
 ही नही होता है। अधिवक्ता कृषीलायी
 ने अपनी बहस मे कागे निवेदन किता
 कि एक रिपोर्ट खातेदार काश्तकार
 को मुनवारि का हुक्मर दिने बिना
 ही पाबन्ड किता जाना न्यायोचित
 नही है इसलिये बिधि के मुख्यापित



सिद्धांतों के विपरीत पारित आदेशों और अपील की शिकायतों को स्थागित करमा के लिये।

इसने अधिवक्ता अपीलकर्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत नमावन्दी सम्बन्ध 2073-2076 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता विवादास्पद मामलों के रिकॉर्ड रखेदार का इतरकार है। तिनको सुनवाई का अवसर देने बिना ही उनकी शिकायतों की शरणापीनता के संदर्भ में प्रतिबन्धित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से आदेशों और अपील दिनांक 05/3/2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिवक्ता न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र आदिपर निषेधाज्ञा पर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अधिवक्ता न्यायालय में निम्न आगामी पेशी दिनांक 11/4/18 को गुणाबगुण पर निर्णय प्राप्त करें। अपीलकर्ता को परिशेष अधिवक्ता निर्देश देने जाते हैं कि वे अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष दिनांक 11/4/18 को निर्णय की प्रति साहित्य उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फंसल सुनवाई होकर बाद नकली

